

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में “कोविड मैनेजमेंट” उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि “कोविड मैनेजमेंट” के नाम पर अरबों की लूट मची थी

—यादवेंद्र शर्मा—

जयपुर, 19 अप्रैल। कोविड महामारी से लड़ने और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ तुरन्त मुहैया कराने के नाम पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के राजकोष से कई तरह के खर्चे किए, परन्तु अब प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इन खर्चों में नियम-कायदों और नीतियों का भारी उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएँ पार कर दी गई। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों में राज्य/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ.) से गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.), बाल गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों (एच.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू.) के सम्पूर्ण “टर्नकी” निर्माण प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार द्वारा 131 करोड़ रूपए का व्यय एस.डी. आर. एफ. फंड से किया गया, जबकि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनयम, 2005 के प्रावधानों एवं समय-समय पर तय किये गए नियम-कायदों के भी विरुद्ध है।

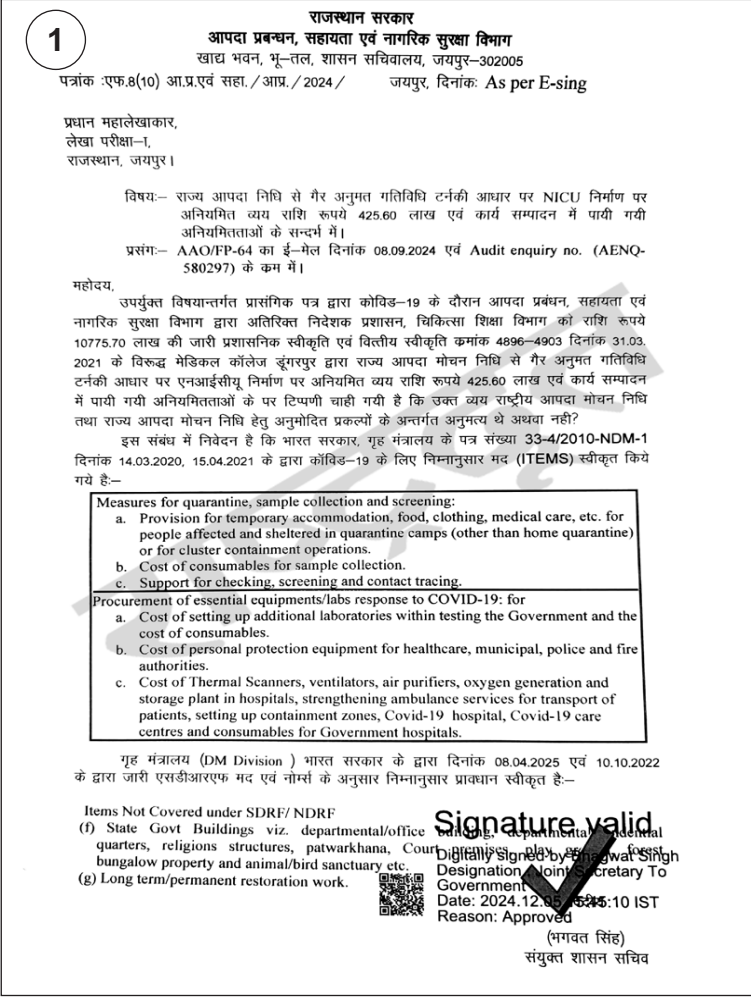
दरअसल, एस.डी.आर.एफ. के फंड से प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को हुई क्षति की मरम्मत और गैर स्थाई ढांचों की मरम्मत के लिये खर्च कर

■ यह लूट इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि, “राइट टु इन्फॉर्मेशन” (सूचना का अधिकार) के दफ्तरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।

■ पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शिता अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।

■ इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपदा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2021 को सरकार ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस काम को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राहत निधि से खर्च करना शामिल है।

सकती है। पाठकों को बता दें कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि निविदा जारी करने वाले कानून, जैसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम, भी निर्लंबित हो जाते हैं, इसलिये कोविड महामारी के दौरान अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की भारी अवहेलना करते हुए एस.डी. आर.एफ.के फंड के उपयोग से अस्पतालों में आई.सी.यू. जैसे स्थाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



दस्तावेज (1) राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से नियमों को उद्धृत करते हुए बताया है कि एस.डी.आर. एफ. फंड का उपयोग मरीजों की जांच करने, “क्वार्टर” करने और मेडिकल लैब में जरूरी उपकरण, पी.पी.पी. किट इत्यादि लेने के लिये किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग स्थाई या लंबे समय के लिये उपयोग में आने वाले निर्माण कार्यों या मरम्मत कार्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस नियम कायदे की भली भांति जानकारी थी। दस्तावेज (2) इसलिये एस.डी.आर.एफ. फंड के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने पहले आदेश में आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. में वैटीलेटर तथा अन्य उपकरणों के खरीद के आदेश दिये हैं। परंतु बाद के आदेशों में शब्दों को गोल-गोल कर आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों के आदेश कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को दिये गये।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद उत्पन्न किया

धनखड़ की टिप्पणी के अनुसार, न्यायपालिका अनावश्यक रूप से विधायकों के काम में हस्तक्षेप कर रही है

■ धनखड़ ने, कानून बनाने के मामले में संसद को सुप्रीम माना है, तथा सुप्रीम कोर्ट को सचेत किया कि, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर “जुडिशियल ओवर रीच” (अनाधिकार चेष्टा) उचित नहीं है।

सत्रह अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विवादास्पद

जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी को दो साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 15 साल पहले विश्वकर्मा क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने की एवज में 7 हजार रूपए की रिश्तत लेने के मामले में, जेडीए के

■ पंद्रह वर्ष पुराने मामले में अवैध निर्माण तोड़ने के लिये रिश्तत लेने के मामले में रिटायर हो चुके प्रवर्तन अधिकारी व फील्ड सहायक को एसीबी मामलों की अदालत ने सजा सुनाई।

रिटायर हो चुके तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और फील्ड सहायक कैलाश जांगिड़ को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी बुजेश कुमार शर्मा ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीस हजार रूपए का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्य अभियन्ता भरतपुर फ्लड कंट्रोल का मानचित्र पेश करें

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गई सिटी फ्लड कंट्रोल डेन में हुए अतिक्रमण के मामले में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को व्यक्तिगत: हाजिर होकर मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने

■ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को स्वयं पेश करने के आदेश दिये।

को कहा है। अदालत ने कहा कि मामला साल 2019 से लंबित है और अदालत ने गत वर्ष राज्य सरकार से यह रिकॉर्ड मांगा था। इसके बावजूद अब तक अदालत को सुपर इंपोज मानचित्र की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी भाजपा का पलटवार है न्यायपालिका के खिलाफ?

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि का अंकुश लगाने से बहुत खिन्न है

— रेणु मिश्रा —

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 19 अप्रैल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सोचा-समझा तथा सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया हुआ हमला है, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बुरी तरह व्याकुल तथा आहत होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वोच्च

■ उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, आर्टिकल 142 प्रजातंत्र ताकतों के खिलाफ छोड़ा गया न्युक्लियर मिसाइल है।

■ धनखड़ के बाद भाजपा के सांसद निशिकान्त दुबे ने और भी रंगीन व असंसदीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कोसा।

■ अब तक भाजपा की पूर्णतया चल रही थी, संसद में उठाये गये सभी मुद्दों पर, अब पहली बार अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, अतः न्यायपालिका को टारगेट बनाया गया है, इतने आक्रामक तरीके से।

न्यायालय को काबू में लेने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ

अत्यन्त कठोर और निर्दण्डपूर्ण भाषण की पहल देश के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी।

बयान दिए थे। हालांकि, उनके और उस समय की सरकार के बीच ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा मतभेद नहीं था और उनके काम की व्यापक सराहना हुई थी।

एक अन्य उदाहरण में, जब पी. वी. सुब्बा राव आर बी आई गवर्नर थे और पी. चिदंबरम वित्त मंत्री, तो चिदंबरम ने नरम ब्याज नीति के लिए संकेत दिए। लेकिन सुब्बा राव ने, देश में महंगाई की स्थिति को देखते हुए, इसे अनुचित समझा।

इस संदर्भ में चिदंबरम ने कहा कि अगर आर बी आई वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर नहीं चलेगा, तो मंत्रालय “अकेले ही चलना” पसंद करेगा। सुब्बा राव ने भी तुरंत जवाब दिया, “यदि अभी नहीं, तो वित्त मंत्री एकांत में इस बात के लिए आभारी महसूस करते होंगे कि आर. बी. आई. जमीनी स्तर पर मोद्रिक नीति प्रबंधन के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखने के लिए मौजूद है।”

और अब उन्हीं का अनुसरण भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे ने किया है, जिनका उपयोग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करने तथा खरी-खोटी सुनाने के लिए प्रायः करता रहता है।

राज्यपाल रवि द्वारा स्टालिन सरकार के विधेयकों को रोक रखने तथा उन पर कुण्डली मार कर बैठे रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने नरमी से नहीं लिया था। न्यायालय ने दृढ़ तात्पूर्वक कह 6.50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीडिता की

अपहरण कर कई दिन दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीडिता की

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्तों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवसिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)